भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (अतिरिक्त अभिदान) विनियम, 1950 (1 अप्रैल 1986 तक यथा संशोधित)

फार्म ए.एस.I
फार्म ए.एस.II

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का II) की धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से, केन्द्रीय बोर्ड एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (अतिरिक्त अभिदान) विनियम, 1950, कहा जाएगा और वे 1 अप्रैल 1950 से प्रभावी होंगे।

1. इन विनियमों के उपबंध इन विनियमों में " मुख्य विनियमों" के रूप में कहे गएं विनियमों के अतिरिक्त होंगे और जब तक कि इसके बाद स्पष्ट रूप से न कहा जाए, भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1935 से नियंत्रित होंगे।

2. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, (1) अभिव्यक्ति " वेतन " का अभिप्राय मूल वेतन, विशेष वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, समुद्रपारीय वेतन, वैयक्तिक वेतन, स्थानीय वेतन, स्थानापन्न वेतन और ऐसी अन्य परिलब्धियों से है जो केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विशेष रूप से वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हों और (2) अन्य सभी अभिव्यक्तियां जो इन विनियमों में प्रयोग की गई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं, उनका अभिप्राय क्रमश: मुख्य विनियमों में दिए गए अभिप्राय से होगा।

3. मुख्य विनियमों या किसी संविदा में कोई प्रतिकूल बात होते हुए भी, कोई कर्मचारी निधि में मुख्य विनियमों के विनियम 6 के अधीन अभिदान की राशि घटा कर अपने वेतन के बराबर तक की राशि का अभिदान कर सकता है लेकिन वह वेतन के 5% से कम नहीं होगी। ऐसे अतिरिक्त अभिदान की गणना निकटतम पूर्णांकित रुपये में की जाएगी। एक बार अभिदाता द्वारा अभिदान की दर निर्धारित कर देने के बाद, उसमें परिवर्तन उसके द्वारा

लिखित रूप में उसे भुगतान करने के लिए उत्तरदायी अधिकारी को कम से कम एक कैलेंडर महीना पहले सूचित करके किया जा सकता है।

4. इन विनियमों के अधीन किए गए अतिरिक्त अभिदानो सभी प्रयोजनों के लिए, मुख्य विनियमों के अधीन निधि में किए गए अभिदान समझे जाएंगे।

बशर्ते कि अभिदाता के खाते में बैंक द्वारा किया गया अंशदान मुख्य विनियमों के अधीन अनुमत सीमा से अधिक नहीं होगा बशर्ते यह भी कि विनियमों के अधीन किए गए अतिरिक्त अभिदानों और उस में वृद्धि पर सभी कर्मचारियों के मामलों में बैंक मुख्य विनियमों के विनियम 9 (भाग I) के अधीन समय-समय पर निर्धारित दर पर ही ब्याज देगा।

6. इन विनियमों में अभिदान करने का इच्छुक प्रत्येक कर्मचारी भविष्य निधि फार्म ए.एस. I में एक करार निष्पादित करेगा और इन विनियमों के साथ संलग्न भविष्य निधि फार्म ए.एस.II में नोटिस भी देगा।